रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2000/बैशाख 5, 1922

No. 284] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2000/VAISAKHA 5, 1922

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय)

(प्रवर्तन खंड)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2000

का.आ. 405 (अ).—केन्द्रीय सरकार, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि हथकरघा उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्यांक का. आ. 557 (अ), तारीख 26 जुलाई, 1996 का निम्नलिखित रूप में, तुरन्त प्रभाव से और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की सारणी में क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9	शाल, लोई, मफलर, पंखी इत्यादि	"शाल एक ऐसा कपड़ा है, जिसे वस्टेड या ऊनी या पश्मीना या शुद्ध रेशम या सूती धागे और/या उनसे सम्मिश्रण से बुना जाता है। उसका प्रयोग महिलाओं या पुरुषों द्वारा अपने शरीर को ढकने/कंधे के ऊपर बिना सिलाई प्रक्रिया के ओढ़ने के लिए किया जाता है। इसकी निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं भी हैं :— (i) अतिरिक्त बाना डिजाइन के साथ ऊनी या वस्टेड या पश्मीना या शुद्ध रेशमी धागे या सूती धागे और/या उनसे किसी अन्य रेशे अर्थात् प्राकृतिक और/या मानव निर्मित/संश्लिष्ट रेशों के साथ सम्मिश्रण या मिश्रण से बुनी गई शालें जिनमें 400 हुक तक का डोबी/जेकुआर्ड डिजाइन हो ; (ii) उसमें किसी प्रकार के ऊनी वर्स्टेड या पश्मीना या शुद्ध रेशमी धागे या सूती धागे और/या उनके सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है ; (iii) इसे किसी भी काउंट के धागे से बुना जाता है ; (iv) इसे किसी भी लंबाई चौड़ाई और भार में बुना जाता है ; और (v) इसे सामान्यत: इसी नाम से जाना जाता है।

स्पष्टीकरण :–शाल पद में लोई, पंखी, मफ्लर, परंपरागत शालें जैसे कुल्लु, किन्नोरी, कानी पश्मीना, थोरी, लिरांचा (तिब्बती), गजारी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उत्पादित सभी शालें जैसे नागा, मणिपुरी, मिजों शालें इत्यादि भी सम्मिलित हैं।

[फा. सं. 2/10/95-डीसीएच/सीईओ/वोल्यूम(VI)]

अरूण गुप्ता, अपर सचिव, और विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

(Enforcement Wing)

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2000

S.O 405 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of 1985), the Central Government being satisfied after considering the recommendations made to it by the Advisory Committee that it is necessary so to do for the protection and development of handloom industry, hereby further amends, with immediate effect, the order of the Government of India in the Ministry of Textiles, number S. O. 557(E) dated the 26th July, 1996 as follows, namely :—

In the Table of the said Order, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"9. Shawl, Loi, Muffler, Pankhi, etc.	Shawl is a piece of cloth woven from worsted or woollen or Pashmina or pure silk or cotton yarn and/or its combination thereof which is used by ladies or gents for covering their body/worn over the shoulders without any tailoring process which is also jointly characterized by the following : (i) shawls woven, with extra weft designs, using woollen or worsted or pashmina or pure silk yarn or cotton yarn and/or its combination or blends with other fibers i.e. natural and/or manmade/synthetic fibre thereof with dobby/jacquard design effect up to 400 hooks; (ii) using any type of woollen, worsted or pashmina or pure silk yarn or cotton yarn and/or in combination thereof; (iii) it is woven with any count of yarn; (iv) it is woven in any length, width and weight; and (v) is commonly known by that name.

Explanation :- The term shawl shall also include Loi, Pankhi, Mufflers, traditional shawls like Kullu, Kinnauri, Kani, Pashmina, Dhori, Lirancha (Tibetan), Gajari, and all shawls produced in the North-Eastern Region like Naga, Manipuri, Mizo shawls, etc."

[F. No. 2/10/95-DCH/CEO/Vol. VI]

ARUN GUPTA, Addl. Secy. & Development Commissioner (Handlooms)

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054